जाता है ...
को पेश हो

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

21/02/22 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली आज सुनवाई में लिये जाने के निवेदन का पेश करने से सुनवाई में ली गयी। पत्रावली आज सुनवाई में लेने के प्रार्थना पत्र से वकील विप्रार्थीगण को नकल कराया गया। दोनो पक्षों के वकील उपस्थित हुए। दोनो पक्षों के वकील से प्रकरण पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लेरनपुरा पटवार क्षेत्र बांटा तहसील गुडामालानी में खेत ख.नं. 262 रकबा 5.0275 हैक्टेयर व ग्राम बांटा खेतानी हाल नया गाँव डी सियाग नगर में खेत ख.नं. 218 रकबा 0.0162 हैक्टेयर व ख.नं. 219 रकबा 1.4407 हैक्टेयर की आई हुई है इनका कृषि मौरूसी है व [illegible] में है इनमें प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी को बाकी बंटवारा कर हिस्से

सहायक कलेक्टर, गुडामालानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकार के वकील [illegible] 05/09/22

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
गई भूमि पर वादी काबिज काश्त है। भूमि संयुक्त खातेदारी के होने के हकों व सीमाओं के विवाद से बचने के लिए वादी ने एक वाद अपने हिस्से की भूमि अलग करवाकर निजवीजान के बंटवाड़ा करवाने का न्यायालय में पेश किया है जिससे नाराज होकर निजवीजान वादी द्वारा उपजाऊ बनाई गई अपने हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर उनकी कम्पनियों को बेचान करने व वादी को बेदखल करने पर आमादा हो गये है तथा आए दिन नये-नये [illegible] क्रेता मौके पर लाकर वादी के हिस्से की भूमि को अपनी बताकर वादी को नाहक तंग व परेशान कर रहे है यदि [illegible] अपने मकसद में कामयाब हो जायेगे तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। निजवीजान बिना बंटवाड़ा करवाए भूमि के किसी विशेष भाग को चिन्हित कर बेचान करने का कोई कानूनी हक नहीं है अतः मूल वाद के निस्तारण तक निजवीजान को [illegible] के पाबन्द करें [illegible] करवाए विवादित भूमि के किसी विशेष भाग को चिन्हित कर बेचान नहीं	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

तारीख हुक्म	
	नहीं करें तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाए रखें।
	वकील विपक्षीगण ने इसका विरोध करते हुए कथन बहस में निवेदन किया कि विवादित भूमि मैमुना खातेदारी में कब्ज़ा है परन्तु वादी व विपक्षीगण अपने अपने इस हिस्से की भूमि में शांति पूर्वक काबिज काश्त है विपक्षीगण का उक्त वादी को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जा रहा है और ना ही विवादित भूमि के किसी हिस्से का कोई हिस्सा कर बेचान करने पर आमादा है। भूमि वादी व विपक्षीगण की सह खातेदारी की भूमि है सह खातेदार के खिलाफ कोई स्थगन पारित नहीं किया जावे।
	उक्त दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। विवादित [illegible] विपक्षीगण की मैमुना खाते[illegible] होते हुए हैं वादी ने उक्त दावा पेश करवाकर शेष विपक्षीगण से बंटवारा।
	सहायक कलेक्टर [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

करने हेतु वाद पत्र न्यायालय में पेश
किया गया है। वकील प्रार्थी की बहस
अनुसार विक्रीता संयुक्त खातेदारी
की भूमि में बिना बंटवारा करवाए
भूमि के किसी विशेष भाग को एक
प्रार्थी द्वारा नामान्तकरण करवाई प्रार्थी के
कब्जा काश्त की भूमि का बेचान
करने पर नामान्तरण होने से ~~...~~
विक्रीता को खातेदारी से खारिज
किया जाना उचित प्रतीत होता है।
अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर विवादित भूमि स्थित
मौजा लखन पुरा के खेत ख.नं. 262
रकबा 5.8275 हैक्टेयर, ग्राम सिकन्दर
नगर के खेत ख.नं. 218 रकबा 0.0162
हैक्टेयर, ख.नं. 219 रकबा 1.4407 हैक्टेयर
भूमि में विक्रीता का हक अंश की
खातेदारी से खारिज किया जाता है।
कि मूल वाद के निस्तारण तक विवादित
भूमि के रेकर्ड में यथास्थिति बनाए
रखें। पत्रावली ... कर
मूल वाद के साथ ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
सहायक कलेक्टर, गुढ़ामालानी

श्रीमान सहायक कलक्टर (S.D.O.) महोदय,

गुडामालानी

प्रार्थी :–

1. राउराम पुत्र गंगाराम उम्र 61 वर्ष

जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

बनाम:–

विप्रार्थीगण :–

1. नानगाराम पुत्र गंगाराम उम्र 75 वर्ष
2. तेजाराम पुत्र गंगाराम उम्र 68 वर्ष
3. खेताराम पुत्र गंगाराम उम्र 65 वर्ष
   जाति जाट निवासी लक्ष्मणपुरा बांटा
   तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
4. शाखा प्रबन्धक S.B.I. शाखा गुडामालानी
5. शाखा प्रबन्धक B.C.C.B शाखा गुडामालानी
6. शाखा प्रबन्धक P.N.B. शाखा गुडामालानी
7. तहसीलदार एवं उपपंजियक गुडामालानी जिला बाडमेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वास्ते पाने अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested

महोदयजी,

निवेदन प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार से है

1. कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की पुर्ण सम्भावना है।
2. कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 एक ही खानदान है प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का सयुक्त परिवार है प्रार्थी के पिता गंगा के फौत होने पर उक्त आराजी में गंगा के वारीसनो के नाम का नामान्तकरण भरा गया है। के उक्त विवादग्रस्त आराजी मौजा लक्ष्मणपुरा पटवार क्षैत्र बांटा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 262 रकबा, 5–8275 हैक्टयर (36–00 बीघा) किस्म बारानी सोयम व ग्राम बांटा खेताजी हाल नया राजस्व ग्राम डी सियाक नगर पटवार हल्का बांटा के खेत खसरा नम्बर 218, 219 रकबा कमश 0–0162, हैक्टयर, (0–02 बीघा), 1–4407 हैक्टयर (8–18 बीघा) कुल रकबा हैक्टयर 1–4569 (कुल बीघा 9–00) किस्म गैर मुमकीन ढाणी, बा. दो. की आई हुई है। कि उक्त आरजी की वर्तमान जमाबन्दी व नक्सा की प्रति संल्गंन है।
3. कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के सयुक्त कब्जा काश्त की जमीन उक्त वादग्रस्त खसरो में वादी व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा है। कि उक्त खसरो में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 प्रत्येक का 1/4 – 1/4 हिस्सा हैं। कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज एवं कब्जा काश्त पर है। प्रार्थी अपने पुस्तैदी हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करता चला आ रहा है।
4. कि उक्त विवादग्रस्त आराजी मे [illegible] 1/4 हिस्से की जमीन मे प्रार्थी की ढाणी व प[illegible] हुऐ है व प्रार्थी की उक्त हिस्से की जमीन को प्रार्थी ने खाद बीज डालकर भूमि उपजाउ बनाई हुई है उक्त वादग्रस्त आराजी पर आज दिन तक प्रार्थी का कब्जा काश्त बदुस्तुर चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:23:02 IST
Reason: SelfAttested